न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 134/2011
जी.सी.एम.एस. :: 2011/00125

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन		1. याकुब खां पुत्र जमालुदीन पठान जाति मुसलमान निवासी राणावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. अणची पत्नी मगाराम जाति मेघवाल निवासी राणावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 23/05/2025

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या 4721/2014 अनवान सरकार बनाम याकुब खां में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 की पालना में पुनः दर्ज किया जाकर माफिक निर्णय रेकर्ड तलब किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में मूल आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं होने से मूल नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम राणावास की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 के अनुसार गत खसरा संख्या 413 किस्म गै.मु.नाड़ा थी, जिसके हाल खसरा संख्या 601/8 रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का आवंटन/नियमन उपखण्ड अधिकारी सोजत के द्वारा दिनांक 15.05.1984 को अप्रार्थी के पक्ष में किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार भी जैर आराजी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 15.05.1984 एवं नामान्तरकरण संख्या 287 दिनांक 29.06.1984 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नाड़ा दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम), 1970 के तहत भूमि का आवंटन/नियमन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा नियमों के अनुरूप किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा जैर आराजी का रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को देखते उक्त भूमि का आवंटन, आवंटी के पक्ष में किया गया है। भूमि काबिल काश्त उपलब्ध थी एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आंवटन/नियमन की गई भूमि प्रतिबंधित नहीं थी। गैर मूमकिन तालाब, नदी, आगोर, तालाब व नदी के प्रवाह को अवरूद्ध करने वाली भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। माना कि भूमि आवंटन से पूर्व गैर मूमकिन नदी, तालाब, नाला, केचमेन्ट एरिया की थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2025 में किया गया। वक्त सेटलमेन्ट रेकर्ड के अनुसार मौके की जांच की गई तथा मौका स्थिति के अनुसार भूमि काबिल काश्त होने से उसकी किस्म बारानी दोयम इत्यादि दर्ज कर दी गई है। किस्म परिवर्तन का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को है एवं उनके द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु की गयी कार्यवाही विधिसम्मत थी। आंवटियों द्वारा मौके पर हजारों रूपये खर्च कर भूमि को काबिल काश्त बनाया गया एवं मौके पर बेरा खोदकर, बिजली कनेक्शन लेकर भूमि को उपजाऊ बनाया। अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को निरस्त करवाने हेतु करीब 34–35 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो नियम विरूद्ध होने से भी खारिज योग्य है, आवंटित व्यक्ति बेकसूर है। अप्रार्थीगण के पक्ष में विधिवत आवंटन होने के पश्चात् उनके द्वारा हजारों रूपये खर्च कर जीवन निर्वाह हेतु उक्त आराजी को एक मात्र साधन/स्त्रोत बनाया है, आवंटन निरस्त होने की स्थिति में अप्रार्थी का जीवन निर्वाह मुश्किल हो जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि जैर आवंटन/नियमन में किसी प्रकार की अनियमितता, छल कपट या गलत तथ्य बताकर किया गया हो तो नियम 14(4) एवं नियम 20 के तहत उस आवंटन/नियमन को निरस्त करवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था परन्तु हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त परिस्थतिया प्रदर्श नहीं हुई है। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से भी खारिज योग्य है क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग श्रीमान के न्यायालय के अधीन नहीं है। तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध कहीं भी यह स्पष्ट नही किया है कि उनके द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को कैसे प्रभावित किया है इसलिये भी जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम राणावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार खसरा संख्या 601/8 रकबा 0.0759 किस्म गै.मु.बाड़ा पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम राणावास के खसरा बन्दोबस्त अनुसार खसरा संख्या 601/8 का गत खसरा संख्या 413 किस्म गै.मु.नाड़ा दर्ज

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है। आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 15.05.1984 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 314 के द्वारा जैर आराजी में मोतीसिंह पुत्र तेजसिंह राव, बाबु पुत्र मोहन मोची, जमालखां पुत्र लालखां पठान सा.देह, खातेदार दर्ज किया गया। जैर आराजी के खातेदार बाबू ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को बेचान दिनांक 13.10.1998 के द्वारा शांतिलाल को तथा मोतीसिंह व जमालखां ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को बेचान दिनांक 26.02.1999 के द्वारा याकूबखां के पक्ष में बेचान कर दिया, जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 645 के द्वारा याकूबखां एवं शांतिलाल को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। बेचान दिनांक 22.02.2001 के द्वारा शांतिलाल ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का बेचान श्रवणकुमार पुत्र केसाराम को कर दिया, जिसका स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 673 के द्वारा श्रवणकुमार को जैर आराजी में सह खातेदार दर्ज किया गया तथा वर्तमान खसरा संख्या 601/8 के खातेदार श्रवणकुमार ने अपने हक हिस्से की आराजी को जरिये पंजीबद्ध 05.04.2010 के द्वारा अणची को बेचान कर दिया, जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 964 के द्वारा अणची को जैर आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण वर्तमान में जैर आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज है। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. उक्तानुसार जलाशय, नाला, तालाब, जोहड़ व बांध आदि की जो स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय थी। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नाड़ा दर्ज थी, तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। रेफरेन्स मेन्टेनेबल है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि मोतीसिंह पुत्र तेजसिंह राव, बाबु पुत्र मोहन मोची, जमालखां पुत्र लालखां पठान के पक्ष में आवंटन/नियमन कमेटी के आदेश दिनांक 15.05.1984 के द्वारा किया गया आवंटन/नियमन एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 314 एवं इसके पश्चावर्ती नामान्तरकरण संख्या 645, 673 एवं 964 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी पुनः गैर मुमकीन नाड़ा दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली